न्यायालयः–उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सलूम्बर, जिला–सलूम्बर

बजरिये श्री जगदीश चन्द्र बामनिया आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 05 / 2025 प्रा.प.

जी.सी.एम.एस. नम्बर 2025 / 10

उनवान

1. श्रीमती सविता पुत्री स्व. हीराजी वेद निवासी खैराड एवं हाल पति भंवरलाल वेद उम्र बालिग, निवासी झाडोल तहसील सराहा जिला सलुम्बर (राज.)
2. श्रीमती लीला पुत्री स्व. हीराजी वेद निवासी खेराड एवं हाल पति रमेश वेद, उम्र बालिग निवासी झाडोल तहसील सराडा जिला शलुम्बर (राज.)

– प्रार्थीगण

विरूद्ध

1. श्रीमती नर्वदा बाई पति स्व. मोहन वेद, उम्र बालिग, निवासी खैराड तहसील सलुम्बर जिला सलुम्बर (राज.)
2. श्री महेन्द्र वेद पिता स्व. मोहन वेद, उम्र बालिग, निवासी शौराड तहसील सलुम्बर जिला सलुम्बर (राज.)
3. श्री नरेश पिता स्व. मोहन वेद, उम्र बालिग, निवासी खैराड तहसील सलुम्बर जिला सलुम्बर (राज.)
4. श्रीमती बसन्ती पुत्री स्व. मोहनजी वेद, उम्र बालिग, निवासी खैराड हाल पति महेन्द्र वेद निवासी सराडा, तहसील सराडा जिला सलुम्बर (राज.)
5. श्रीमती गट्टुलाल पिता स्व. हीराजी वेद, उम्र बालिग, निवासी खैराड तहसील सलुम्बर जिला सलुम्बर (राज.)
6. श्रीमान् भूमिधारी तहसीलदार सलुम्बर, जिला रालुम्बर (राज.)

– विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व धारा 39 नियम 1 व 2 जा.दी.

–::निर्णयः:–

दिनांकः– 27/05/2026

उपस्थितिः श्री गोविन्दलाल डांगी अधिवक्ता – प्रार्थी
श्री भगवतीलाल सुथार अधिवक्ता – विपक्षी संख्या 5
विपक्षी संख्या 1 से 4– एक पक्षीय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व धारा 39 नियम 1 व 2 सी. पी. सी. का प्रस्तुत कर अंकित किया कि मौजा एवं पटवार हल्का खैराड की खाता संख्या 357 आराजी नम्बर 101 / 0.04, 102 / 0.13, 103 / 0.07, 77 / 0.19, 78 / 0.07, 79 / 0.11, 80 / 0.09, 81 / 0.17 कुल किता 8 रकबा 0.87 हैक्टेयर कृषि भूमि दोनों वादीगण के स्व. पिता हीरा पुत्र मादा वेद के खातेदारी एंव कब्जे काश्त की भूमि है

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

एवं हीराजी का निधन सन् 2011 में हो गया उसके बाद निम्न कृषि भूमि वादीगण के बडे भाई मोहन एवं छोटे भाई गटुलाल अकेलो ने 1/2 आधी आधी खाते करा दी जिसकी वादीगण को किसी प्रकार की सुचना तहसीलदार एवं पटवारी हल्का खैराड ने नहीं दी एवं बिना विरासत की जांच किये नामान्तरण में लिख दिया कि खातेदार हीरा वेद के 2 दो बेटे ही वारिश है, उक्त कृत्य अवैध है, निम्न भूमि की 1/2 आधी दोनों वादीगण की है एवं 1/2 आधी विपक्षीगण की है एवं वादीगण की माता श्रीमती लक्ष्मी बाई भी हीराजी के निधन के 4–5 वर्ष बाद निधन हो गया एवं बडा भाई मोहन सन् 2022 में कोरोना काल में मर गया इसलिये निम्न वादग्रस्त भूमि मौझा खेराड पटवार हल्का खैराड की वादी के बड़े भाई मोहन के वारिश विपक्षीगण नं. 1 एक से 4 चार तक के नाम 1/2 आधी भूमि एवं 1/2 विपक्षी नं. 5 पांच के खाते दर्ज है।

वादग्रस्त कृषि भूमि आज तक अविभाजित है जिसका आज तक माप एवं सीमाओं द्वारा विधिवत पांती बंटवाडा नहीं हुआ है एवं विपक्षीगण नं. 1 एक से 5 पांच तक उक्त भूमि स्व. हीराजी वेद के निधन के बाद अवैध रूप से खाते करा दी है उसका नाजायज लाभ उठाकर उक्त भूमि किसी अजनबी खरीददार व्यक्ति को अकेले विक्रय करने के लिये सलुम्बर के किसी मुसलमान आरआई के मार्फत दलाल बनाकर बेचने का सौदा पक्का कर लिया है एवं एक दो दिन में इस प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 2 दो में वर्णित भूमि को विक्रय पत्र पंजीयन कराकर बेच सकते है जिससे दोनों वादीगण अपने पिता से विरासत में प्राप्त 1/2 आधे हिस्से की भूमि के उपयोग एवं उपभोग से हमेशा हमेशा के लिये वंचित हो जावेगी एवं प्रार्थीगणके 1/2 आधे हिस्से की उक्त भूमि की किमत से भी वंचित हो जावेगी एवं खरीददार अजनबी व्यक्ति जो बाहुबली भी होगा एवं हम गरीब ओबीसी की महिलाओको अपने धनबल एवं भुजबल पर उक्त भूमि के उपयोग एवं काश्त कब्जे से वंचित कर देवेंगे जिससे प्रार्थीगण को जो क्षति होगी उसकी रूपये पैसो में मुल्यांकन नहीं हो पावेगा एवं अनेक वाद अनजबी खरीददार के विरूद्ध लाने पड़ेंगे जिससे तुरनत विपक्षीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करनी न्याय संगत एवं न्याय हित में जरूरी होने से यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थीगण का प्रथम दृष्ट्या मामला है एवं सुविधा सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है।

अतः प्रार्थना है कि असल वाद के निर्णय तक इस प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 2 दो में वर्णित कृषि भूमि जिसका हाल खाता नं. 357 पुराना खाता सं. 322 की कृषि भूमि आ. नं. 101, 102, 103, 77, 78, 79, 80 एवं 81 कुल किता 8 रकबा 0.8700 हेक्टर लगानी 2 रू. 1 पैसा मुल वाद के निर्णय तक किसी अन्य व्यक्ति को उक्त भूमि अथवा उक्त भूमि के किसी भी आराजी का कोई भी हिस्सा अथवा पुरी भूमि किसी प्रकार से हस्तान्तरण एवं विक्रय नहीं करे एवं सब रजिस्ट्रार साहब सलुम्बर जो भूमिधारी तहसीलदार साहब सलुम्बर भी है जो विपक्षी नं. 6 है किसी प्रकार का उक्त भूमि पंजीयन विपक्षीगण नं. 1 एक से 5 तक कराते है तो नहीं करे।

पत्रावली बाद जांच दर्ज रजिस्टर की जाकर विपक्षीगण को प्रार्थना पत्र की प्रति के साथ जरिये सम्मन सूचित किया गया। विपक्षी संख्या 1 से 4 बावजुद सूचना के गैर हाजिर रहने से आदेशिका दिनांक 29–01–2025 को उनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही की गई। विपक्षी संख्या 5 की ओर से अधिवक्ता श्री भगवतीलाल सुथार ने वकालतनामा पेश किया एवं हाजिर रहे। विपक्षी संख्या 5 को जवाब हेतु पार्यप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

जवाब पेश नही करने से आदेशिका दिनांक 03–02–2026 को विपक्षी संख्या 5 के जवाब का अवसर बन्द किया गया।

पत्रावली मे उपस्थित उभयपक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण ने बहस मे अपने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए मूलवाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारि किये जाने का निवेदन किया। विपक्षी संख्या 5 ने बहस मे कथन किया कि राजस्व जमाबंदी मे इनका नाम नही है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

बहस मनन की गई। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र तथा उपलब्ध अभिलेखों पर विचार किया गया। विपक्षी संख्या 1 से 4 सूचना के बावजूद अनुपस्थित रहे, जिनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जा चुकी है। विपक्षी संख्या 5 उपस्थित हुआ किन्तु पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी जवाब प्रस्तुत नहीं किया, फलस्वरूप उसका जवाब का अवसर बंद किया जा चुका है।

प्रार्थीगण का कथन है कि विवादित कृषि भूमि मूल खातेदार स्व. हीरा पुत्र मादा वेद की खातेदारी एवं कब्जे की भूमि थी। उनके निधन के पश्चात बिना विधिवत विरासत जांच के केवल पुत्रों के नाम नामांतरण दर्ज कर दिया गया, जबकि वादीगण भी वैधानिक वारिस हैं। यह भी कथित है कि भूमि आज तक अविभाजित है तथा विपक्षीगण भूमि को किसी तृतीय व्यक्ति को विक्रय करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रस्तुत तर्कों से प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि विवादित भूमि के स्वामित्व एवं उत्तराधिकार का प्रश्न विचारणीय है। यदि वाद निर्णय से पूर्व भूमि का हस्तांतरण कर दिया जाता है तो वादीगण को अपूरणीय क्षति होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। सुविधा का संतुलन भी यथास्थिति बनाए रखने के पक्ष में प्रतीत होता है।

–::आदेश::–

अतः प्रार्थीगण का अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। विपक्षीगण संख्या 1 से 5 को आदेशित किया जाता है कि वाद के अंतिम निर्णय तक वे विवादित कृषि भूमि मौजा खैराड पटवार हल्का खैराड खाता संख्या 357, आराजी संख्या 101, 102, 103, 77, 78, 79, 80 एवं 81 कुल किता 8 रकबा 0.8700 हेक्टेयर का किसी प्रकार से विक्रय, हस्तांतरण, नामांतरण अथवा तृतीय पक्ष हित सृजित नहीं करे। इस प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा से विपक्षीगण को मूलवाद के निस्तारण तक पाबंद किया जाता है।

निर्णय दिनांक 27/05/26 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जगदीश चन्द्र बामनिया RAS)
उपखण्ड अधिकारी, सलूम्बर
सहायक कलेक्टर सलूम्बर
जिला–सलूम्बर
जिला सलूम्बर